कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
ग्रामीण निर्माण विभाग , तपोवन मार्ग रायपुर रोड़
उत्तराखण्ड – देहरादून ।

पत्रांक 180 /ग्रा0नि0वि0/लेखा–दो–71/ले0सा0/क0सा0 /2020–2021/ दिनांकः01 ~~मई~~ जून 2020

(कोटेशन नोटिस)

मुख्य अभियन्ता(स्तर–1) ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग रायपुर रोड़ उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय उपयोगार्थ वर्ष 2020–2021 में पृथक–पृथक रूप से लेखन सामग्री एंव कम्प्यूटर सामग्री (कारट्रेज/टोनर) आदि की आपूर्ति हेतु **स्थानीय फर्मो से दिनांक 15.6.2020 को 3.00 बजे अपरान्ह** तक सीलबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन **4.00 बजे अपरान्ह** में इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जायेंगें। लेखन सामग्री एंव कम्प्यूटर सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित शर्तें एंव सूची विभागीय वैबसाईट www.rwd.uk.in पर देखी जा सकती हैं ,अथवा मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में आकर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

ह0/-
मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड – देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग ,रिंग रोड़ मसूरी बाईपास देहरादून उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कोटेशन सूचना का प्रकाशन वृहत प्रचार–प्रसार एवं उत्तराखण्ड में पढ़ जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्न– (पांच प्रतियों में)

2– श्री विशाल कटियार (कनिष्ठ सहायक) को इस आशय से कि उक्त कोटेशन एवंउसकी शर्तो ,तथा कार्यालय उपयोगार्थ लेखन सामग्री एव कम्प्यूटर स्टेशनरी(कार्ट्रेज/टोनर) से सम्बन्धित सूची विभागीय बैबसाईट **www.rwd.uk.gov.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3– नोटिस बोर्ड चस्पा करने हेतु।

01/6/20
मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड – देहरादून

Scanned with CamScanner

मुख्य अभियन्ता(स्तर–1) ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय उपयोगार्थ वर्ष 2020–2021 में लेखन सामग्री/ कम्प्यूटर सामग्री (कार्टेज/टोनर) की आपूर्ति से सम्बन्धित शर्तें एवं अन्य विवरणः–

1– धरोहर धनराशि के रूप में रू0 5000.00 में (रू0 पाँच हजार मात्र) की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 पृथक–पृथक कोटेशन के साथ प्रस्तुत करनी होगी ,जो मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पदनाम से बंधक होनी चाहिए।

2– जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोटेशन पर ही विचार किया जायेगा।

3– कोटेशन में दी गई मदवार दरें समस्त करों (जी0एस0टी0) को सम्मिलित करते हुए देनी होंगी।

4– स्वीकृत कोटेशन के आधार पर समय–समय पर विभाग की आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे जिसके सापेक्ष तीन दिन के भीतर सामग्री की आपूर्ति करनी अनिवार्य होगी।

5– प्राप्त कोटेशन में मदवार न्यूनतम दर के आधार पर ही आपूर्ति ली जायेगी।

6– कोटेशन के साथ प्रत्येक मद की सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन आपूर्तिकर्ता के कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगें, उनके द्वारा नमूने के रूप में प्रस्तुत सामग्री एंव एफ0डी0आर0 न्यूनतम कोटेशन स्वीकृति के पश्चात् अवमुक्त कर दी जायेगी।

7– फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय में जमा करनी होगी।

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड–देहरादून

Scanned with CamScanner